रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234503 CG-DL-E-26032022-234503

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288] No. 1288] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 25 मार्च. 2022

का.आ.1330(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2180 (अ), तारीख 7 जून, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 8 जून, 2021, को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा सम्यक विचार किया गया था:

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य, कश्मीर प्रांत, जम्मू-कश्मीर में 128.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है;

2029 GI/2022 (1)

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें 89.00 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, को 18 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ: 425 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य में 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, वन्यजीव अभयारण्य के रूप में का.नि.आ संख्या: 157 तारीख 19 मार्च 1987 और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें 80.00 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है किन्तु 52.23 वर्ग किलोमीटर को शामिल करने के पश्चात् बचे हुए 27.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे का.नि.आ. संख्या: 150 तारीख 19 मार्च 1987 द्वारा अधिसूचित किया गया है;

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य वनस्पित और जीवजंतु की अच्छी जैव-विविधता दर्शाते हुए सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत बनाता है और यह क्षेत्र पीर पंजल मरखोर (कपरा फलकोनेरी) और स्थानिक कश्मीर मस्क डियर (मोस्यूस कूपरेयूस) की अंतिम जीवनक्षम जनसंख्या के वास के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों, पक्षी दर्शकों, पर्वतारोहियों, पारिस्थिति विज्ञानी, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए प्राचीन अवस्थान प्रदान करता है;

और, क्षेत्र का भू-आकृति विज्ञान और स्थलाकृतिक क्षेत्र ऊंचाई अनुक्रम में शीतोष्ण कोनिफर की मेसोफाइटिक वनस्पति का आश्रय प्रदान करता है और विविध वन के प्रकार, अल्पाइन वासों के हरे-भरे घास के मैदान इस तरह के जैविक और पारिस्थितिकी विरासत के लिए अधिक अद्भुत बनाते है और इसलिए, आगामी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के लिए वन्यजीव प्रजातियों के प्रभावी संरक्षण, सुरक्षा और बेहतर प्रवर्धन का आह्वान किया गया;

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य देवदार वुड कवर, ब्लू पाइन वन, सिल्वर फॅर कनौपी, बृहत्-पत्ती वुडलैंड, बर्च वन, आइसोडेन झाड़ी, सावाना झाड़ी और अल्पाइन चरागाह के साथ शंकुधारी वनों में शामिल हैं। क्षेत्र में वनस्पित प्रजातियों की विविधता जैसे देवदार (सेडरस देवदारा), पर्रोटिया (पर्रोटिओप्सिस जेक्यूइमोंटिअना), कैल (पाइनस वाल्लीचिना), फर (एबिइस पिंड्रो), स्प्रूस (पीसिया स्मिथीआना), हॉर्स चेस्टनट (ऐस्कुलुस इंडिका), वाल्नट (जगलांस रेगिया), अकेर कप्पाडोकिकम, बेटुला उटीलिस, इंडिगोफेरा हेटेरंथा, वेबरनम ग्रांडीफलोरम, रोसा वेब्बिआना, लोनिकेरा क्यूइंक्इलोकुलारिस, चीनार (प्लैटैनस ओरिएंटलिस), जुनिपेरस रेकुर्वा, रेहोडोडेंड्रोन एंन्थोगोन, इसोडोन रगोसस, पाइनस ग्रिफ्फिथी आदि भी है;

और, रोज़र्स और पवार (1988) द्वारा जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के जैव-भौगोलिक सीमांकन के अनुसार काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य और नागानारी संरक्षण रिज़र्व हिमालयन जोन के उत्तर-पश्चिम हिमालयन प्रांत के अंतर्गत आते है। भारत-चीनी रूपों की कई प्रजातियों की उपस्थिति से जीवजंतु जीवन विशिष्ट है। जीवजंतु तत्व उत्तरी पैलियार्टिक जीवजंतु के साथ-साथ पूर्वी और ओरिएंटल जीवजंतु के साथ संबंध दिखाते है, जो महान संरक्षण मूल्य का अद्भुत संयोजन बनाते हैं;

और, क्षेत्र में दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय जीवजंतु प्रजातियों की बृहत् विविध जैसे एशियाई काला भालू (उर्सस शिबेटानस), हिमालयन ब्राउन भालू (उरसूस आर्कटोस इसाबेल्लिनस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), तेंदुआ बिल्ली (प्रिरओनाइलुरूस बेंगालेंसिस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), रेड लोमड़ी (वुल्पेस बुल्पेस), सियार (कैनिस ऑरियस), येलो- थ्रोटेड मार्टिन (मारटेस फलाविगुला), माउंटेन वेअसेल (मुस्टेला अलटाइका), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), हिमालयन ग्रे लंगूर (सेम्नापिथेकस अजाक्स), रीसस मकाक (मकाका मुलाट्टा), हिमालयन ग्रे गोरल (नेमोरहाइडस बेडफोरदी), हिमालयन पाल्म सिवेट(पागुमा लारवाटा), बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा), रोयले पिका (ओचोटोना रोयलेइ), हाउस श्रेव (सुंकस मुरीनस), कश्मीर फ्लाईंग गिलहरी (इओगलाउकोम्यस फिम्बरीअटस) आदि है;

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य में पिक्षयों की 120 प्रजातियों का वास है जो लगभग 36 कुलों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र में पाई जाने वाली पिक्षयों की कुछ प्रजातियां हिमालयन ग्रिफॉन (जिप्सी हिमालयनसिस), बेअरडेड गिद्ध (गयपैटस बारबेटस), पिश्चम ट्रागोपन पेलानोकेफलुस) चीर तीतर (कटरेउस वाल्लिची), हिमालयन मोनल (लोफोफोरूस इम्पेजानस), कोकलास्स तीतर (पुकरासिया माकरोलोफा), लार्ज-स्पोट्टेड नटक्रैकर (निकिफेरगा मुलटीपुंकटाटा), रेड-बिल्ड चौगह (प्यररहोकरस प्यररहोकरस), ग्रे-हेडेड केनरी फ्लाईकैचर (कुलिकिकापा केयलोनेंसिस), कश्मीर नूठातच (सिट्टा किश्मरेंसिस), रॉक बुंटीग (इम्बेरीजा किया) आदि हैं;

और, काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर क्षेत्र को काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर के साथ 69.97 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की उपस्थिति के कारण और मानव बस्तियों के कारण भी पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है। विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर	1.5
उत्तर-पूर्व	1.5
पूर्व	0.05
दक्षिण-पूर्व	5.0
दक्षिण	0.05
दक्षिण-पश्चिम	0.05
पश्चिम	0.00
उत्तर-पश्चिम	0.00

- (2) काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध -।** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य, लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-॥क, उपाबंध-॥ख,

उपाबंध -।।ग, उपाबंध-।।घ और उपाबंध-।।ङ के रूप में संलग्न हैं।

- (4) **काज़ि**नाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) संघ राज्यक्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और उसे संघ राज्यक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (x) नगरपालिका;
 - (xi) पंचायती राज; और
 - (xii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचिलक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानिचत्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- संघ राज्यक्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-
- (1) **भू-उपयोग.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए, कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में स्थानीय सुविधाएं सहायक जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत.** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसी रीति में मार्गदर्शी

सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जो ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करे जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हों।

- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, होटलों और रिजॉर्टों के नये सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगी;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और एक विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सरण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपिशष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपिशष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपिशष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यान प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छ ईंधनों के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- (ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या कटाव की उच्च मात्रा वाली ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और उनमें किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन					
	 क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप						
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;					
		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।					
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।					
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।					
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।					

5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में	प्रतिषिद्ध।
0	अनुपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण । नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना
6.	12 311/11/11/11/11/11/11	और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध।
	जैसे वायुयान गर्म वायु गुब्बारों, आदि	
	द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र	
	के ऊपर से उड़ने जैसे क्रियाकलाप	
	करना।	
		नियमित क्रियाकलाप
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के
	स्थापना ।	सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट
		है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया
		जाएगा:
		•
		परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या
		पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट
		हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के
		अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या
		पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट
		हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:
		परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी
		निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप
		पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए,
		अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की
		अनुज्ञा होगी:
		परंतु यह कि, गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित
		ू संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों,
		के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।
		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के
		अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी
	उद्योग।	उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित
		गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा

		उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के
		बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों और अन्य बुनियादी ढांचे का बिछाया जाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को, लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को, लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्घ उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्नाव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जायेगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

29.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।			
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप				
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
33.	कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।			
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
39.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।			

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थातु:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	उपायुक्त, बारामूला	अध्यक्ष;
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले	सदस्य;
	गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	
4.	जम्मू और कश्मीर जैव विविधिता परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	जिला अधिकारी, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बारामूला	सदस्य;
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, झेलम घाटी वन प्रभाग	सदस्य;
7.	प्रभागीय वनाधिकारी, लंगेट वन प्रभाग	सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रभाग	सदस्य- सचिव

- **6. निर्देश-निबंधन.-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापित्त के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, उसके पैरा 4

- के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के सिवाय, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में उपाबद्ध प्रारुप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/14/2020-ईएसजेड] तन्मय कुमार, अपर सचिव


उपाबंध- I जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य और लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


क्र. सं.	बिन्दु	देशांतर	अक्षांश	दूरी	टिप्पणी
					वन क्षेत्र, द्वारा /26
1.	1	74° 5' 38.681" पू	34° 15' 6.329" ਤ	50 मीटर	आरएफडी
					वन क्षेत्र, खुली झाडी,
2.	2	74° 6' 13.591" पू	34° 15' 21.786" ਤ	1000 मीटर	द्वारा /25 आरएफडी
					वन क्षेत्र, द्वारा / 21
3.	3	74° 9' 41.404" पू	34° 14' 33.668" ਤ	1000 मीटर	आरएफडी, खुली झाडी
					वन क्षेत्र, द्वारा 20
4.	4	74° 11' 0.690" पू	34° 14' 0.771" ਤ	1000 मीटर	आरएफडी
					वन क्षेत्र, द्वारा/ 16
5.	5	74° 14' 12.003" पू	34° 14' 25.858" ਤ	1000 मीटर	आरएफडी
6.	6	74° 14' 48.264" पू	34° 13' 40.732" ਤ	1000 मीटर	चिट्टे बतीन, वन क्षेत्र
7.	7	74° 14' 4.618" पू	34° 13' 3.929" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र, कावा पहाड़ी
8.	8	74° 12' 58.892" पू	34° 11' 50.569" ਤ	1000 मीटर	हीलन ग्राम
					वन क्षेत्र, जेवी दीवन,
9.	9	74° 12' 18.447" पू	34° 11' 13.076" ਤ	2000 मीटर	काथा नार
10.	10	74° 11' 58.364" पू	34° 10' 26.987" ਤ	1500 मीटर	वन क्षेत्र, डिंडवारा ग्राम
11.	11	74° 11' 59.366" पू	34° 9' 14.534" ਤ	50 मीटर	प्रीन्गल, झेलम ग्राम
12.	12	74° 10' 26.288" पू	34° 8' 36.733" उ	1500 मीटर	उपल्हाक मार्ग, वन क्षेत्र


13.	13	74° 9' 4.215" पू	34° 9' 29.800" ਤ	1500 मीटर	तवरइन वन क्षेत्र
14.	14	74° 8' 12.285" पू	34° 10' 47.517" ਤ	1500 मीटर	वन क्षेत्र
15.	15	74° 7' 22.080" पू	34° 11' 35.330" ਤ	5000 मीटर	वन क्षेत्र, इशमाबाद नाला
16.	16	74° 7' 10.332" पू	34° 10' 57.357" ਤ	3000 मीटर	बगना नाला, वन क्षेत्र
17.	17	74° 7' 30.230" पू	34° 10' 8.319" ਤ	3000 मीटर	इस्लामबाद,बगना ग्राम एवं वन क्षेत्र
18.	18	74° 7' 39.132" पू	34° 9' 15.311" उ	500 मीटर	बगना नार
19.	19	74° 6' 10.275" पू	34° 8' 32.096" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
20.	20	74° 4' 58.183" पू	34° 9' 11.289" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
21.	21	74° 3' 4.736" पू	34° 9' 27.929" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
22.	22	74° 2' 34.129" पू	34° 9' 43.573" ਤ	50मीटर	वन क्षेत्र
23.	23	74° 2' 17.347" पू	34° 10' 5.887" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
24.	24	74° 1' 11.906" पू	34° 10' 39.053" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
25.	25	74° 0' 16.650" पू	34° 11' 21.498" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
26.	26	73° 59' 52.862" पू	34° 11' 38.957" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
27.	29	74° 0' 9.615" पू	34° 13' 8.461" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
28.	30	74° 0' 47.853" पू	34° 13' 19.283" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
29.	33	74° 1' 43.414" पू	34° 14' 1.310" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
30.	37	74° 3' 42.507" पू	34° 15' 47.506" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र, द्वारा 31/ आरएफडी
31.	27	73° 59' 47.024" पू	34° 12' 35.036" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
32.	28	74° 0' 0.110" पू	34° 12' 54.794" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
33.	29	74° 0' 22.943" पू	34° 13' 20.318" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
34.	31	74° 1' 1.870" पू	34° 13' 23.833" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र
35.	32	74° 1' 31.712" पू	34° 13' 45.728" ਤ	50मीटर	वन क्षेत्र
36.	34	74° 1' 20.600" पू	34° 14' 21.236" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र, सीध कनूशाह
37.	34	74° 1' 28.929" पू	34° 14' 44.601" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र
					वन क्षेत्र, द्वारा 31/
38.	35	74° 2' 19.213" पू	34° 15' 34.140" उ	50 मीटर	आरएफडी
39.	38	74° 4' 3.486" पू	34° 15' 50.648" ਤ		वन क्षेत्र, खुली झाडी
40.	39	74° 4' 39.748" पू	34° 15' 19.869" ਤ	50 मीटर	वन क्षेत्र, द्वारा 26/ आरएफडी
41.	40	74° 5' 17.733" पू	34° 15' 21.806" उ	50 मीटर	वन क्षेत्र, खुली झाडी

उपाबंध- II क


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अवस्थान मानचित्र









उपाबंध-II ख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र




उपाबंध-II ग मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटैलाइट मानचित्र



उपाबंध-II घ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-II ङ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र



उपाबंध- III

क. सारणी क : काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

	काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान						
नाम	दिशा	अवस्थान	अक्षांश	देशांतर			
के1	उत्तर	खुली झाड़ी नागरीन नार टॉप	34º 14' 28.365" ਤ	74º 7' 7.827" पू			
के2	उत्तर-पूर्व	कावा पहाड़ी, गबेवार	34º 13' 34.177" ਤ	74º 14' 22.856" पू			
के3	दक्षिण-पूर्व	नागा डोरी रीज़	34º 12' 16.259" ਤ	74º 11' 42.825" पू			
के4	दक्षिण	डोगी पहारूथ	34º 12' 41.058" ਤ	74º 6' 47.468" पू			
के5	दक्षिण-पश्चिम	बइला डोरी टॉप	34º 11' 4.041" ਤ	74º 0' 37.696" पू			
के6	उत्तर-पश्चिम	स्क्रब, काजी नाग टॉप	34º 14' 14.533" ਤ	74º 1' 18.878" पू			
लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य							
नाम	दिशा	अवस्थान	अक्षांश	देशांतर			
एलएच1	उत्तर	नाल्ला लछावर	34º 12' 12.548" ਤ	74º 4' 10.768" पू			

एलएच4	दक्षिण-पूर्व	बगना नाल्ला	34º 9' 24.652" ਤ	74º 7' 15.305" पू
एलएच2	उत्तर-पूर्व	रिज़	34º 11' 45.031" ਤ	74º 6' 10.188" पू
एलएच5	दक्षिण	रिज़ और नाल्ला रेहवारी	34º 8' 32.672" ਤ	74º 6' 48.090" पू
एलएच6	दक्षिण-पश्चिम	सड़क बलिस्तान	340 8' 36.887" ਤ	74º 5' 33.443" पू
एलएच7	दक्षिण	सड़क मुलिनाग मारी	340 9' 14.484" ਤ	74º 3' 42.037" पू
एलएच8	उत्तर-पश्चिम	रिज़	34º 10' 40.457" ਤ	74º 1' 13.442" पू
एलएच3	उत्तर-पूर्व	कोपरा रिज़	34º 10' 42.003" ਤ	74º 6' 8.019" पू
लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य				
		भाग्यर गः गणा	7 9111111	
नाम	दिशा	अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
नाम एलबी1	दिशा उत्तर			देशांतर 74º 9' 46.019" पू
	†	अवस्थान	अक्षांश	
एलबी1	उत्तर	अवस्थान नाल्ल गरात नार	अक्षांश 34º 11' 35.894" उ	74º 9' 46.019" पू
एलबी1 एलबी2	उत्तर उत्तर-पूर्व	अवस्थान नाल्ल गरात नार रीज़ नागा डोरी	अक्षांश 34º 11' 35.894" उ 34º 12' 18.848" उ	74º 9' 46.019" पू 74º 11' 23.087" पू
एलबी1 एलबी2 एलबी3	उत्तर उत्तर-पूर्व दक्षिण-पूर्व	अवस्थान नाल्ल गरात नार रीज़ नागा डोरी डांडवार ग्राम	अक्षांश 34º 11' 35.894" उ 34º 12' 18.848" उ 34º 10' 17.998" उ	74° 9' 46.019" पू 74° 11' 23.087" पू 74° 11' 4.014" पू
एलबी1 एलबी2 एलबी3 एलबी4	उत्तर उत्तर-पूर्व दक्षिण-पूर्व दक्षिण	अवस्थान नाल्ल गरात नार रीज़ नागा डोरी डांडवार ग्राम कैन्नाल	अक्षांश 34º 11' 35.894" उ 34º 12' 18.848" उ 34º 10' 17.998" उ 34º 9' 15.016" उ	74° 9' 46.019" पू 74° 11' 23.087" पू 74° 11' 4.014" पू 74° 11' 56.410" पू

सारणी ख: काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

दिशा सीमा विवरण		अक्षांश(उ)	देशांतर (पू)
उत्तर	कुदबनी वन क्षेत्र	34° 14' 33.668''ਤ	74° 9' 41.404''पू
उत्तर-पूर्व	चिट्टे बातिन वन क्षेत्र	34° 13' 40.732"ਤ	74° 14' 48.264"पू
पूर्व	गब्बेवार क्षेत्र	34° 13' 1 3.929"ਤ	74° 14' 4.618''पू
दक्षिण-पूर्व	काथा नाल्लाह क्षेत्र	34º 10' 26.987''ਤ	74º 11' 58.364"पू
दक्षिण थाथला मुला क्षेत्र		34 º 8' 36.733"ਤ	74º 10' 26.288''पू
दक्षिण-पश्चिम	लोइपहाटका छाम्ब क्षेत्र	34º 11' 21.498''ਤ	74º 0' 16.650''पू
पश्चिम गराजा गली क्षेत्र		34 º 13' 8.461"ਤ	74 º 0' 9.615''पू
उत्तर-पश्चिम	काज़िनाग क्षेत्र	34º 15' 34.140"ਤ	74º 2' 19.213''पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

काज़िनाग राष्ट्रीय उद्यान, लीम्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत निम्नलिखित अट्ठारह ग्राम/नगर क्षेत्र आते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	तहसील	जिला	अक्षांश	देशांतर
1.	बगना	बोनियार	बारामूला	34°10'29.171"ਤ	74° 6'43.904"पू
2.	कोपरा	बोनियार	बारामूला	34°10'43.999"ਤ	74° 6'13.486"पू
3.	कथ बेख	बोनियार	बारामूला	34°1'15.935"उ	74° 6'39.197"पू
4.	नागा पाथरी	बोनियार	बारामूला	34°12' 2.669"उ	74° 6'30.519"पू
5.	इस्लामाबाद	बोनियार	बारामूला	34°10' 2.536"उ	74° 7'21.262"पू
6.	बुजानथाल	बोनियार	बारामूला	34° 9' 47.050"ਤ	74° 9' 7.755"पू
7.	नाल्ला	बोनियार	बारामूला	34° 9' 35.054"ਤ	74° 10'2.232"पू
8.	उपलहाकीमार्ग	बोनियार	बारामूला	34° 8' 41.100"ਤ	74°10'39.331"पू
9.	नौगीरान	बोनियार	बारामूला	34° 8' 50.221"ਤ	74° 11' 7.345"पू
10.	दंडवारा	बोनियार	बारामूला	34°10'30.316"ਤ	74°11'11.034"पू
11	पिहरान	बोनियार	बारामूला	34° 9' 45.737"ਤ	74°11'57.188"पू
12.	काहा बहाक	बोनियार	बारामूला	34°11'29.712"उ	74°11'30.105"पू
13.	हिल्लान	बोनियार	बारामूला	34°11'58.575" उ	74°12'49.433"पू
12.	बुगना	बोनियार	बारामूला	34° 9' 47.460"ਤ	74° 7' 17.499"पू
13.	थट मुल्ला खान	बोनियार	बारामूला	34° 9' 5.449"ਤ	74° 10' 9.346"पू
14.	गब्बेवार	बोनियार	बारामूला	34°13'26 .507"उ	74°13'55.534"पू
15.	चिट्टे बाटिन	बोनियार	बारामूला	34°13'27.679"ਤ	74°14'29.857"पू
16.	तुंड बहक	बोनियार	बारामूला	34°14'32.527"ਤ	74°13'25.312"पू
17.	पहलीपूरा	बोनियार	बारामूला	34°14'35.803"ਤ	74°13'16.337"पू
18.	काथा	बोनियार	बारामूला	34°10'47.679"उ	74° 12' 2.444"पू

उपाबंध-∨

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।

- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2022

S.O. 1330(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2180 (E), dated the 7th June, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 8^{th} June, 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary are spread over an area of 128.77 square kilometers is located, in Kashmir province, Jammu and Kashmir;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park comprising an area of 89.00 square kilometres has been notified as National Park *vide* notification number S.R.O:425 dated 18th December, 2007. Limber Wildlife Sanctuary comprising an area of 12 square kilometres has been notified as Wildlife Sanctuary vide S.R.O No: 157 dated 19th March 1987 and Lachipora Wildlife Sanctuary comprising an area of 80.00 square kilometres as notified but 27.77 square kilometres area carved out after inclusion of 52.23 Sq. Km area for declaring Kazinag National Park has been notified as Wildlife Sanctuary notified *vide* S.R.O No: 150 dated 19th March1987;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary, and Lachipora Wildlife Sanctuary form the most important natural heritage representing a great biodiversity of flora and fauna and the area is known to harbour the last viable population of Pir Panjal Markhor (*Capra falconeri*) and endemic Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*). The area provides pristine locations for nature lovers, bird watchers, mountaineers, ecologists, researchers and tourists;

AND WHEREAS, the physiographical and topographical terrain of the area supports a mesophytic vegetation of temperate conifers arranged in an altitudinal sequence and a variety of forest types, lush green meadows of alpine habitats makes it more unique for such a biological and ecological heritage and therefore, calls upon its effective conservation, preservation and better propagation of wildlife species in order to protect it for future generations;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary consists of coniferous forests with deodar wood cover, blue pine forests, silver fir canopy, broad-leaved woodland, birch forest, isoden scrub, savana scrub and alpine pastures. The area also has a diversity of floral species such as Deodar (Cedrus deodara), Parrotia (Parrotiopsis jacquemontiana), kail (Pinus walllichina), fir (Abies Pindrow), spruce (Picea smithiana), horse chestnut (Aesculus indica), walnut (Juglans regia), Acer cappadocicum, Betula utilis, Indigofera heterantha, Viburnum grandiflorum,Rosa webbiana, Lonicera quinquelocularis, chinar (Platanus orientalis), Juniperus recurva, Rhododendron anthopogon, Isodon rugosus, Pinus griffithii etc;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary, Lachipora Wildlife Sanctuary and Naganari Conservation Reserve fall in the North-West Himalayan province of Himalayan zone as per the biogeographic demarcation of Jammu and Kashmir State by Rodgers and Pawar (1988). The faunal life is distinguished by the presence of many species of Indo-Chinese forms. The faunal elements show affinities with Northern Paleartic fauna as well as Eastern and Oriental fauna, forming a unique assemblage of great conservation value;

AND WHEREAS, the area has a wide variety of rare, threatened and endangered faunal species such as Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos*), common leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), jungle cat (*Felis chaus*), red fox (*Vulpes vulpes*), jackal (*Canis aureus*), yellow-throated marten (*Martes flavigula*), mountain weasel (*Mustela altaica*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Himalayan grey langur (*Semnopithecus ajax*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Himalayan grey goral (*Nemorhaedus bedfordi*), Himalayan palm civet (*Paguma larvata*), Indian wild pig (*Sus scorfa*), Royle's pika (*Ochotona roylei*), house shrew (*Suncus murinus*), Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus*)etc;

AND WHEREAS, the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary, Lachipora Wildlife Sanctuary are home to 120 species of birds representing about 36 families. Some of the birds species present in the area are Himalayan griffon (*Gypsy himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), western tragopan (*Tragopan melanocephalus*), cheer pheasant (*Catreus wallichii*), Himalayan monal (*Lophophorus impejanus*), koklass pheasant (*Pucrasia macrolopha*), large-spotted nutcracker (*Nucifraga multipunctata*), red-billed chough (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), grey-headed canary flycatcher (*Culicicapa ceylonensis*), Kashmir nuthatch (*Sitta cashmirensis*), rock bunting (*Emberiza cia*) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 5kilometers around the boundary of Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary, in the Union territory of Jammu and Kashmir as Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 69.97 square kilometers with an extent 0 (zero) to 5 kilometers around the boundary of Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary. The zero extent of the Eco-sensitive zone towards West and North-West direction is due to presence of actual Line of Control and also due to human settlements. Extent of Eco-sensitive zone in different directions (kilometers) as given below:-

Direction	Extent (kilometres)
North	1.5
North-East	1.5
East	0.05
South-East	5.0
South	0.05
South-West	0.05
West	0.00
North-west	0.00

- (2) The boundary description of Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**
- (3) The maps of the Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB**, **Annexure-IID** and **Annexure-IIE**.
- (4) The lists of geo co-ordinates of the boundary of Kazinag National Park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. -(1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union territory.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forests:
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Pollution Control Board;
 - (x) Municipal;
 - (xi) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the Union Territory Government**. -The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union tferritory Department of Tourism in consultation with the Union territory Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
 - Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, ecoeducation and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste. Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone. All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description			
	A. Prohibited Activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone;			
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.			
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil,	New industries and expansion of existing polluting industries in the Ecosensitive Zone shall not be permitted:			
	Noise, etc.).	Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.			
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.			
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.			
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.			
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.			
8. 9.	Commercial use of firewood Use of polythene bags.	Prohibited. Prohibited.			
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited.			
		B. Regulated Activities			
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-			

	sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:
	Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
	Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:
	Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
	(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
Felling of trees.	(a)There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory Government.
	(b)The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
Discharge of treated waste water/effluents in natural	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of
	Small scale non polluting industries. Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce. Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. Infrastructure including civic amenities. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. Protection of Hill Slopes and river banks. Movement of vehicular traffic at night. Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. Discharge of treated waste

	water bodies or land area.	treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.		
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.		
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.		
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.		
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.		
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.		
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.		
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.		
		C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.		
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.		
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.		
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.		
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.		
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.		
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.		

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S.N.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, Baramulla	Chairman;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by	Member;
	the Government of Jammu and Kashmir	
3.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the	Member;
	field of environment conservation to be nominated by the Government	
	of Jammu and Kashmir	
4.	Representative of Jammu and Kashmir Biodiversity Council	Member;
5.	District Officer, Jammu and Kashmir State Pollution Control Board,	Member;
	Baramulla	

6. Divisional Forest Officer, Jhelum Valley Forest Division		Member;
7.	Divisional Forest Officer, Langate Forest Division	Member;
8.	Wildlife Warden, North Division	Member Secretary.

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per performa appended at **Annexure-V**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7. Additional measures.**-The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2020-ESZ] TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR


S.No.	Point	Longitude	Latitude	Distance	Remarks
1.	1	74° 5' 38.681" E	34° 15' 6.329" N	50 m	Forest Area, Co/26 Rfd
2.	2	74° 6' 13.591" E	34° 15' 21.786" N	N 1000 m Forest area Open scrub, Co/25rfd	
3.	3	74° 9' 41.404" E	34° 14' 33.668" N	N 1000 m Forest Area, Co/ 21Rfd, open scrub	
4.	4	74° 11' 0.690" E	34° 14' 0.771" N	1000 m	Forest Area, Co 20/Rfd
5.	5	74° 14' 12.003" E	34° 14' 25.858" N	1000 m	forest area, Co 16/Rfd


6.	6	74° 14' 48.264" E	34° 13' 40.732" N	1000 m	chitte batin, Forest area
7.	7	74° 14' 4.618" E	34° 13′ 3.929" N	50 m	Forest Area, kawahill
8.	8	74° 12' 58.892" E	34° 11′ 50.569″ N	1000 m	Village Hilan
9.	9	74° 12' 18.447" E	34° 11' 13.076" N	2000 m	Forest Area, JV Divn, Katha Nar
10.	10	74° 11' 58.364" E	34° 10′ 26.987″ N	1500 m	Forest Area, Dindwara Village
11.	11	74° 11' 59.366" E	34° 9' 14.534" N	50 m	Pringal, Jhelum Village
12.	12	74° 10' 26.288" E	34° 8' 36.733" N	1500 m	Upalhakmarg, Forest Area
13.	13	74° 9' 4.215" E	34° 9' 29.800" N	1500 m	Tawarian Forest Area
14.	14	74° 8' 12.285" E	34° 10′ 47.517″ N	1500 m	Forest Area
15.	15	74° 7' 22.080" E	34° 11' 35.330" N	5000 m	Forest Area, Ishmabad Nala
16.	16	74° 7' 10.332" E	34° 10′ 57.357" N	3000 m	Bagna Nala, Forest Area
17.	17	74° 7' 30.230" E	34° 10′ 8.319″ N	3000 m	Village, Islambad, Bagna and Forest Area
18.	18	74° 7' 39.132" E	34° 9' 15.311" N	500 m	Bagna Nar
19.	19	74° 6' 10.275" E	34° 8′ 32.096″ N	50 m	Forest Area
20.	20	74° 4' 58.183" E	34° 9' 11.289" N	50 m	Forest Area
21.	21	74° 3' 4.736" E	34° 9' 27.929" N	50 m	Forest Area
22.	22	74° 2' 34.129" E	34° 9' 43.573" N	50m	Forest Area
23.	23	74° 2' 17.347" E	34° 10' 5.887" N	50 m	Forest Area
24.	24	74° 1' 11.906" E	34° 10' 39.053" N	50 m	Forest Area
25.	25	74° 0' 16.650" E	34° 11' 21.498" N	50 m	Forest Area
26.	26	73° 59' 52.862" E	34° 11' 38.957" N	50 m	Forest Area
27.	29	74° 0' 9.615" E	34° 13' 8.461" N	50 m	Forest Area
28.	30	74° 0' 47.853" E	34° 13' 19.283" N	50 m	Forest Area
29.	33	74° 1' 43.414" E	34° 14′ 1.310″ N	50 m	Forest Area
30.	37	74° 3' 42.507" E	34° 15' 47.506" N	50 m	Forest Area, co 31/rfd
31.	27	73° 59' 47.024" E	34° 12′ 35.036″ N	50 m	Forest Area
32.	28	74° 0' 0.110" E	34° 12' 54.794" N	50 m	Forest Area
33.	29	74° 0' 22.943" E	34° 13' 20.318" N	50 m	Forest Area
34.	31	74° 1' 1.870" E	34° 13' 23.833" N	50 m	Forest Area
35.	32	74° 1' 31.712" E	34° 13' 45.728" N	50m	Forest Area
36.	34	74° 1' 20.600" E	34° 14' 21.236" N	50 m	Forest Area, sidh kanu shah
37.	34	74° 1' 28.929" E	34° 14' 44.601" N	50 m	Forest Area
38.	35	74° 2' 19.213" E	34° 15′ 34.140″ N	50 m	Forest Area, co 31/rfd
39.	38	74° 4' 3.486" E	34° 15' 50.648" N		Forest Area, open scrub
40.	39	74° 4' 39.748" E	34° 15' 19.869" N	50 m	Forest Area, co 26/rfd
41.	40	74° 5' 17.733" E	34° 15' 21.806" N	50 m	Forest Area, open scrub

ANNEXURE -II A


LOCATION MAPS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS








ANNEXURE -II B
MAP SHOWING BOUNDARIES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER
WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND
LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION



ANNEXURE -II C


SATELLITE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION



ANNEXURE -II D MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION



ANNEXURE -II E LAND USE LAND COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE -III
A. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATE OF THE PROTECTED AREA OF KAZINAG
NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY

	NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY Kazinag National Park						
Name	Direction	Location	Latitude	Longitude			
K1	North	Open Scrub Nagrin Nar Top	34 ⁰ 14' 28.365" N	74 ⁰ 7' 7.827" E			
K2	North-East	Kawa hill, Gabewar	34 ⁰ 13' 34.177" N	74 ⁰ 14' 22.856" E			
K3	South-East	Naga Dori Redge	34 ⁰ 12' 16.259" N	74 ⁰ 11' 42.825" E			
K4	South	Dogi Paharuth	34 ⁰ 12' 41.058" N	74 ⁰ 6' 47.468" E			
K5	South-West	Baila Dori Top	34 ⁰ 11' 4.041" N	74 ⁰ 0' 37.696" E			
K6	North-West	Scrub, Kazi Nag Top	34 ⁰ 14' 14.533" N	74 ⁰ 1' 18.878" E			
		Lachipora Wi	ldlife Sanctuary				
Name	Direction	Location	Latitude	Longitude			
Lh1	North	Nalla Lachhawar	34 ⁰ 12' 12.548" N	74 ⁰ 4' 10.768" E			
Lh4	South-East	Bagna Nalla	34 ⁰ 9' 24.652" N	74 ⁰ 7' 15.305" E			
Lh2	North-East	Redge	34 ⁰ 11' 45.031" N	74 ⁰ 6' 10.188" E			

Lh5	South	Redge and Nalla Rehwari	34 ⁰ 8' 32.672" N	74 ⁰ 6' 48.090" E
Lh6 South-West		Road Balistan	34 ⁰ 8' 36.887" N	74 ⁰ 5' 33.443" E
Lh7	South	Road Mulinag Mari	34 ⁰ 9' 14.484" N	74 ⁰ 3' 42.037" E
Lh8	North-West	Redge	34 ⁰ 10' 40.457" N	74 ⁰ 1' 13.442" E
Lh3	North-East	Kopra Redge	34 ⁰ 10' 42.003" N	74 ⁰ 6' 8.019" E
		Limber Wild	llife Sanctuary	
Name	Direction	Location	Latitude	Longitude
Lb1	North	Nall Grat Nar	34 ⁰ 11' 35.894" N	74 ⁰ 9' 46.019'' E
Lb2	North-East	Redge Naga Dori	34 ⁰ 12' 18.848" N	74 ⁰ 11' 23.087" E
Lb3	South-East	Dandwar Village	34 ⁰ 10' 17.998" N	74 ⁰ 11' 4.014" E
Lb4	South	Cannal	34 ⁰ 9' 15.016" N	74 ⁰ 11' 56.410" E
Lb5	South-West	Rege Mula Kalan	34 ⁰ 9' 5.281" N	74 ⁰ 10' 38.579" E
Lb6	West	Badarali Village	34 ⁰ 10' 36.426" N	74 ⁰ 9' 8.118" E
	West	Budaran vinage		

B. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE ESZ BOUNDARIES OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY

Direction	Boundary Description	Latitude(N)	Longitude (E)
North	Kudbani Forest area	34° 14′ 33.668″N	74° 9′ 41.404″E
North-East	Chitte Batin Forest area	34° 13' 40.732"N	74° 14′ 48.264″E
East	Gabbewar area	34° 13′ 1 3.929″N	74° 14′ 4.618″E
South-East	Katha Nallah area	34 ⁰ 10' 26.987''N	74 ⁰ 11' 58.364''E
South	Thathla Mula area	34 ⁰ 8' 36.733''N	74 ⁰ 10' 26.288''E
South-West	Loipahatka Chhamb area	34 ⁰ 11' 21.498''N	74 ⁰ 0' 16.650''E
West	Garaja Gali area	34 ⁰ 13' 8.461''N	74 ⁰ 0' 9.615''E
North-West	Kazinag area	34 ⁰ 15' 34.140''N	74 ⁰ 2' 19.213''E

ANNEXURE -IV

LIST OF VILLAGE FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KAZINAG NATIONAL PARK, LIMBER WILDLIFE SANCTUARY AND LACHIPORA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

The following eighteen villages / townships fall within the proposed ESZ of Kazinag National park, Limber Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary:

S.No.	Village	Tehsil	District	Latitude	Longitude
1.	Bagna	Boniyar	Baramulla	34°10'29.171"N	74° 6'43.904"E
2.	Kopra	Boniyar	Baramulla	34°10'43.999"N	74° 6'13.486"E
3.	Kath Beikh	Boniyar	Baramulla	34°1'15.935"N	74° 6'39.197"E
4.	Naga Pathri	Boniyar	Baramulla	34°12' 2.669"N	74° 6'30.519"E
5.	Islamabad	Boniyar	Baramulla	34°10' 2.536"N	74° 7'21.262"E
6.	Bujanthal	Boniyar	Baramulla	34° 9' 47.050"N	74° 9' 7.755"E
7.	Nalla	Boniyar	Baramulla	34° 9' 35.054"N	74° 10'2.232"E
8.	Upalhakimarg	Boniyar	Baramulla	34° 8' 41.100"N	74°10'39.331"E
9.	Naugiran	Boniyar	Baramulla	34° 8' 50.221"N	74° 11' 7.345"E

10.	Dandwara	Boniyar	Baramulla	34°10'30.316"N	74°11'11.034"E
11	Piharan	Boniyar	Baramulla	34° 9' 45.737"N	74°11'57.188"E
12.	Kaha Bahak	Boniyar	Baramulla	34°11'29.712"N	74°11'30.105"E
13.	Hillan	Boniyar	Baramulla	34°11'58.575"N	74°12'49.433"E
12.	Bugna	Boniyar	Baramulla	34° 9' 47.460"N	74° 7' 17.499"E
13.	That Mulla Khan	Boniyar	Baramulla	34° 9' 5.449"N	74° 10' 9.346"E
14.	Gabbewar	Boniyar	Baramulla	34°13'26.507"N	74°13'55.534"E
15.	Chitte Batin	Boniyar	Baramulla	34°13'27.679"N	74°14'29.857"E
16.	Tund Bahk	Boniyar	Baramulla	34°14'32.527"N	74°13'25.312"E
17.	Pahlipora	Boniyar	Baramulla	34°14'35.803"N	74°13'16.337"E
18.	Katha	Boniyar	Baramulla	34°10'47.679"N	74° 12' 2.444"E

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.